

**मूल वाद में डिक्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )  
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

**उनवान**

1. चान्दीबाई पुत्री आसू भील निवासी सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादीया

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय मावली जिला उदयपुर।
2. पटवारी, पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**  
**मुकदमा न0 : 69/24 (वाद) GCMS No. – 2024/161**

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा बांसलिया पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 35, 30, 79, 210 पर दर्ज आराजीयात भूमि में खातेदार आसू पुत्र रामा, आसिया पुत्र दीपा, आसू पुत्र दीमा के बजाय आसू पुत्र श्यामा संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 9.05.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)  
सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली

